SUNDAY HINDUSTAN TIMES, RANCHI
FEBRUARY 21, 2016

# Divorce cases are like Titanic, save marriages: CJ to judges

**Bedanti Saran**
bedanti.Saran@hindustantimes.com

**RANCHI:** Jharkhand high court chief justice Virender Singh on Saturday equated a matrimonial dispute with the Titanic ship, urging principal judges of family courts to save marriages from sinking.

"No one gets married to be divorced is a truth. And it is a universal truth that there always remain some differences between spouses. A divorce case is like a sinking Titanic ship which the judges ought to save," the chief justice said.

He was addressing a workshop on 'role of principal judges in family court matters & victim emancipation through compensation' organised by the Jharkhand Legal Services Authority (JHALSA) here. Supreme Court judges Dipak Mishra and AK Goel shared their judicial experience on the issue.

Justice Virender Singh said family court judges, before deciding a divorce case, should delve into root causes and try to nip the conflict in the bud. "If we can't make it, it means we are fuelling the fire which has already ignited and the worst sufferers are the children of the disputants who become shuttlecocks," the CJ said, emphasising the need for family court judges to undergo training like expert mediators.

Justice Dipak Mishra, a Supreme Court judge, presents a compensation cheque to a beneficiary in Ranchi on Saturday. PARWAZ KHAN/HT

Justice Mishra said the institution of marriage saves society from anarchy. Family court judges are expected to establish a rapport with litigants for better adjudication.

Justice Goel said India's USP is that people have stable and happy families. "In the West, marriage stability is very less. But dissolution of marriages has serious implications on society. Courts are expected to diagnose the causes of divorce and treat them rather than jumping to pass plain order granting divorce," he said.

He pointed out that under Section 357(A) of the Code of Criminal Procedure, judges have inherent powers to order for payment of interim compensation to the victim of a crime.

The SC judges handed over cheques of ₹1 lakh each to murder victims Rita Devi and Lilawati Devi. The state home department paid the compensation. As many as 88 crime victims were paid compensation worth ₹62 lakh.

Justice DN Patel, JHALSA executive chairman, pointed out the disparity in compensation fixed by states on different types of crime. "Compensation fixed by different states for an acid attack victim ranges from ₹20,000 to ₹10 lakh, the highest being paid by Goa," he said.

THE TELEGRAPH CALCUTTA SUNDAY 21 FEBRUARY 2016

XXRE

# Jhalsa lens on marital rows

OUR CORRESPONDENT

**Ranchi, Feb. 20:** Supreme Court Justice Dipak Mishra today urged judges to look for avenues for speedy and amicable settlement of matrimonial disputes.

He added that principal judges of family courts, dealing with matrimonial cases, were not judges in the true sense of the word. They needed to establish a rapport with the litigants and play a participatory role in the litigation.

"Judges should be patient and look for ways for an amicable solution. Matrimonial adjustment is all about tolerance and not aggression," he said while speaking at a seminar on "Role of principal judges in family court matters and victims emancipation through compensation", organised by Jharkhand Legal Services Authority (Jhalsa) at Nyay Sadan in the capital.

Another Supreme Court Justice Adarsh Kumar Goel and Jharkhand High Court Chief Justice Virender Singh were also present at the seminar that was attended by principal judges from across the 24 districts of Jharkhand.

Quoting Socrates, Mishra, known for his judgements in dealing with issues relating to matrimony and family courts, said litigants in a matrimonial case were victims of situation and judges, dealing with the matter, needed to sensitise the parties involved. "The judges need to hit at the root of the problem and not dispose of the matter summarily," he added.

Justice Goel said in order to preserve the institution of marriage, harmony at home had to be established. "If there is harmony at home, there will be peace outside."

Chief Justice Singh said children in any matrimonial case were the worst affected. Recounting the experience of his recent visit to a family court in Melbourne, Singh said courts abroad took proper care of children. "The system is so perfect that a child remains untouched by his parents' matrimonial dispute. The child plays in a play room on the court premises while his parents try to resolve their dispute," he added.

**Supreme Court Justice Dipak Misra addresses the seminar in Ranchi on Saturday.** Picture by Hardeep Singh

sunday pioneer
RANCHI | SUNDAY | FEBRUARY 21, 2016

# Stable families are India's USP, says SC Judge

## 88 crime victims get ₹62-lakh compensation at JHALSA meet

PNS ■ RANCHI

Justice Dipak Misra of the Supreme Court presenting a cheque to Rita Devi during the one-day workshop on "Role of Principal Judges in Family Court Matters and Victim — Emancipation through Compensation" at Nyaya Sadan in Ranchi on Saturday. Justice Adarsh Kumar Goal of Supreme Court, Chief Justice of Jharkhand High Court, Virender Singh, Justice DN Patel are also seen

Vinay Murmu | Pioneer

The Jharkhand State Legal Services (JHALSA) on Saturday organised a workshop to sensitise Principal Judges to Family Court matters and niceties of awarding compensation to the victims of various crimes with the intent to facilitate their integration into the mainstream of the society.

The workshop — 'Role of Principal Judges in Family Court Matters & Victim-Emancipation through Compensation' — was also an occasion to award compensation to victims of murder and award employment letter for Class-4 posts in Government Departments.

The workshop was inaugurated by judges of the Supreme Court, Justice Dipak Misra, Justice Adarsh Kumar Goel, Chief Justice of Jharkhand High Court, Justice Virender Singh and judges of the High Court, Justice DN Patel and Justice Prashant Kumar at Nyay Sadan in Doranda. Principal Judges of 21 family courts attended the workshop to gain insights about factors that should be kept in mind while resolving family disputes.

"If you scan the anatomy of the act and various Supreme Court and High Court judgments, you will find that a Principal Judge and Judge of the Family Court has to establish a rapport with the litigants. A judge has a participatory role and a judge has to inculcate faith in the speedy settlement between the parties," said Justice Misra.

Justice Misra added that a Family Court functions in informal manner with some ambit of formality and it can take help from experts, psychologists, medical practitioners and associations as deems fit in such cases. He stressed on the institutional characteristics of marriage and its continuance as necessary to save the society from anarchy. He emphasised on the role of Principal Judges and Judges in family court matters while advocating for an entirely different attitude towards the litigants.

"They (litigants) are the victims of situation and that is why role of judges is much sensitised one. They have to talk to them in their terms," maintained Justice Misra.

Family values of the Indian society were praised for strengthening nuptial ties and ensuring that such sacrosanct bonds endures all sorts of strain as it moves on with several milestones in the course of the long journey of marital life. Thus preserving those values which incidentally put Indian society on higher plane compared to others was attached with a great deal of significance by the members of the Indian judiciary while they talked at length about the discord in the sacred bond.

**The institution of marriage, which is a rare thing in western countries, needs to be protected**

**— Justice Goel**

"The institution of marriage needs to be protected. Stable families are India's USP which is a rare thing in western countries," added Justice Goel.

Chief Justice of Jharkhand High Court Virender Singh described breaking of marriage as a huge tragedy for the couple and children of such couples and lay emphasis on digging deeper into the cause behind family disputes as litigants rarely approach a Family Court over trivial matters of day-to-day life. Even as the Chief Justice encouraged going to the root of cause of litigation and emancipation of victims by adequately compensating victims, Justice Patel supported uniformity in the compensation structures prevailing in the various parts of the country for crimes against which compensation has been legally sanctioned.

"It is the gravity of the conflict which brings people to the family court. Breaking of marriage is like sinking of Titanic. So, we need to go deep into as to what are the causes of the conflict," said the Chief Justice of Jharkhand High Court.

Meanwhile, as many as 88 victims of offences committed in 12 districts — Chatra, Chaibasa, Latehar, Simdega, Seraikela, Jamtara, Khunti, Koderma, Lohardagga, Pakur, Ramgarh and Sahibganj — were given a total compensation of ₹62-lakh and four people were also given employment letters to emancipate them from the hopeless situation they were thrown into because of someone else's faults.

SUNDAY HINDUSTAN TIMES, RANCHI
FEBRUARY 21, 2016

# Divorce cases are like Titanic, save marriages: CJ to judges

**Bedanti Saran**
bedanti.Saran@hindustantimes.com

**RANCHI:** Jharkhand high court chief justice Virender Singh on Saturday equated a matrimonial dispute with the Titanic ship, urging principal judges of family courts to save marriages from sinking.

"No one gets married to be divorced is a truth. And it is a universal truth that there always remain some differences between spouses. A divorce case is like a sinking Titanic ship which the judges ought to save," the chief justice said.

He was addressing a workshop on 'role of principal judges in family court matters & victim emancipation through compensation' organised by the Jharkhand Legal Services Authority (JHALSA) here. Supreme Court judges Dipak Mishra and AK Goel shared their judicial experience on the issue.

Justice Virender Singh said family court judges, before deciding a divorce case, should delve into root causes and try to nip the conflict in the bud. "If we can't make it, it means we are fuelling the fire which has already ignited and the worst sufferers are the children of the disputants who become shuttlecocks," the CJ said, emphasising the need for family court judges to undergo training like expert mediators.

Justice Dipak Mishra, a Supreme Court judge, presents a compensation cheque to a beneficiary in Ranchi on Saturday. PARWAZ KHAN/HT

Justice Mishra said the institution of marriage saves society from anarchy. Family court judges are expected to establish a rapport with litigants for better adjudication.

Justice Goel said India's USP is that people have stable and happy families. "In the West, marriage stability is very less. But dissolution of marriages has serious implications on society. Courts are expected to diagnose the causes of divorce and treat them rather than jumping to pass plain order granting divorce," he said.

He pointed out that under Section 357(A) of the Code of Criminal Procedure, judges have inherent powers to order for payment of interim compensation to the victim of a crime.

The SC judges handed over cheques of ₹1 lakh each to murder victims Rita Devi and Lilawati Devi. The state home department paid the compensation. As many as 88 crime victims were paid compensation worth ₹62 lakh.

Justice DN Patel, JHALSA executive chairman, pointed out the disparity in compensation fixed by states on different types of crime. "Compensation fixed by different states for an acid attack victim ranges from ₹20,000 to ₹10 lakh, the highest being paid by Goa," he said.

दैनिक जागरण रांची, 21 फरवरी 2016

www.jagran.com

रांची जागरण

# धैर्य से कार्य करें न्यायाधीश

## फैमिली कोर्ट के मामलों में प्रधान न्यायाधीशों की भूमिका व पीड़ित अनुदान मुआवजा विषय पर सेमिनार

**जागरण संवाददाता, रांची :** कुटुंब (फैमिली) कोर्ट सिर्फ कोर्ट नहीं, और उसके न्यायाधीश सिर्फ न्यायाधीश नहीं होते हैं। फैमिली कोर्ट एक परिवार के रूप में कार्य करने के लिए बनाए गए हैं। इसके न्यायाधीश को पारिवारिक तरीके से व्यवहारिक रूप में मामलों को सुलझाने की आवश्यकता है। इसके लिए पक्षकार के बीच बेहतर संबंध स्थापित करना होगा। उन्हें धैर्य और सहनशीलता के साथ कार्य करना होगा। मामलों को सुलझाने में अधिक समय लग सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। ये बातें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने कही। वे शनिवार को फैमिली कोर्ट के मामलों में प्रधान न्यायाधीशों की भूमिका व पीड़ित अनुदान मुआवजा विषय पर आयोजित सेमिनार में बोल रहे थे। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से कार्यक्रम का आयोजन न्याय सदन में किया गया था।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने कहा कि पारिवारिक मामलों में फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। विवाह जैसी संस्थाओं को बचाने का प्रयास करना होगा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि झालसा ने काफी पीड़ितों को मुआवजा देने का कार्य किया है। नौकरी भी दी जा रही है। ऐसे कार्य सभी जगहों पर होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल ने कहा कि छोटे-छोटे विवादों में परिवार टूट रहा है। 90 फीसद लोग पारिवारिक विवाद में उलझ रहे हैं। ऐसे मामलों में फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की अहम भूमिका है। समझौता से शीघ्र व अधिक मामलों का निष्पादन किया जा सकता है। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंदर सिंह ने कह कि फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश को पक्षकार व उनके बच्चों की मानसिकता को समझनी चाहिए। परिवार टूटना बड़ा हादसा है। किसी विवाह को टूटने को उन्होंने टाइटेनिक जहाज को डूबने के समान बताया। उन्होंने फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को विवाद की गहराइयों तक जाकर समझौता के माध्यम से मामले का अंत करने को कहा।

न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सिविल व आपराधिक मामलों में 25 फीसद मामले पारिवारिक होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, दीपक मिश्रा, झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह, जस्टिस डीएल पटेल आदि ने 'कंपाइलेशन ऑफ लैंडमार्क जजमेंट ऑफ ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा' नाम की पुस्तक का विमोचन किया।

कार्यक्रम में पुस्तिका का विमोचन करते सुप्रीम कोर्ट व झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश।

- व्यवहारिक स्तर से सुलझाएं पारिवारिक मामले : जस्टिस मिश्रा

### पीड़ित के आश्रित को नौकरी व मुआवजा

सेमिनार में विक्टिम कंपन्सेशन स्कीम के तहत 70 लोगों को मुआवजा दिया गया। विक्टिम वेलफेयर फंड रूल-2014 के तहत 18 लोगों को मुआवजा दिया गया। उग्रवादी हिंसा के पीड़ितों को सहायता संबंधी नीति के तहत उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इसमें चतरा, लातेहार, सरायकेला, साहेबगंज, चाईबासा, खूंटी, सरायकेला खरसावां, कोडरमा, जामताड़ा सहित राज्य के अन्य जिलों के लोग शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने चतरा की रेखा देवी, रीता देवी, लीलावती देवी को एक-एक लाख रुपये मुआवजे की राशि दी। उग्रवादी हिंसा में इनके पति की मौत हुई थी। चतरा की सबीना खातून को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। वह चतरा समाहरणालय में फोर्थ ग्रेड में नौकरी करेंगी। उनके पति नियाम अंसारी की हत्या उग्रवादी हिंसा में हुई थी।

आज
रांची, २१ फरवरी, २०१६

# मुआवजा दिलाने में झालसा की महत्वपूर्ण भूमिका : गोयल

## फैमली कोर्ट मैटर में न्यायाधीश की भूमिका पर कार्यशाला का आयोजन

रांची। झालसा के तत्वावधान में न्याय सदन डोरंडा में शनिवार को 'फैमली कोर्ट मैटर में प्रमुख न्यायाधीश की भूमिका व मुआवजा के माध्यम से भुक्तभोगी के राहत विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपक मिश्रा व अध्यक्षता न्यायमूर्ति एके गोयल ने किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वीरेन्द्र सिंह व न्यायाधीश डीएन पटेल चेयरमेन झालसा, न्यायाधीश प्रशांत कुमार एवं अन्य न्यायाधीश उपस्थित थे। न्यायाधीश डीएन पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि फैमली कोर्ट मैटर

आया : दिवाकर

में प्रधान जज की महत्वपूर्ण भूमिका है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वीरेन्द्र सिंह ने कार्यशाला की विस्तृत चर्चा की तथा स्टैक होल्डर की भुमिका पर प्रकाश डाला। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री गोयल ने कार्यशाला के विषय-वस्तु पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भुक्तभोगी को मुआवजा दिलाने में झालसा का महत्वपूर्ण भुमिका है। मुख्य अतिथि न्यायाधीश श्री मिश्रा ने वैवाहिक जीवन में समान्यजस व सहिष्णुता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि फैमली कोर्ट को पक्षों की संवेदना पर विचार करना चाहिए ताकि आशातित परिणाम मिल सके। भुक्तभोगी मुआवजा के मामले पर झालसा के कार्यो की सराहना की। इस अवसर पर विधवा अनिता देवी को नियुक्ति पत्र एवं मुआवजा का चेक प्रदान किया गया। मुआवजा के रूप में विधवा सबीना खादून, राहुल कुमार तिवारी, बरसा देवी, दिनेश तूरी, विनोद साव, देवराम को नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया। भुक्तभोगी मुआवजा स्कीम के तहत सभी लाभुकों के बीच 57 लाख 70 हजार की राशि वितरण किया गया।

दैनिक जागरण रांची, 21 फरवरी 2016

# धैर्य से कार्य करें न्यायाधीश

## फैमिली कोर्ट के मामलों में प्रधान न्यायाधीशों की भूमिका व पीड़ित अनुदान मुआवजा विषय पर सेमिनार

**जागरण संवाददाता, रांची :** कुटुंब (फैमिली) कोर्ट सिर्फ कोर्ट नहीं, और उसके न्यायाधीश सिर्फ न्यायाधीश नहीं होते हैं। फैमिली कोर्ट एक परिवार के रूप में कार्य करने के लिए बनाए गए हैं। इसके न्यायाधीश को पारिवारिक तरीके से व्यवहारिक रूप में मामलों को सुलझाने की आवश्यकता है। इसके लिए पक्षकार के बीच बेहतर संबंध स्थापित करना होगा। उन्हें धैर्य और सहनशीलता के साथ कार्य करना होगा। मामलों को सुलझाने में अधिक समय लग सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। ये बातें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने कही। वे शनिवार को फैमिली कोर्ट के मामलों में प्रधान न्यायाधीशों की भूमिका व पीड़ित अनुदान मुआवजा विषय पर आयोजित सेमिनार में बोल रहे थे। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से कार्यक्रम का आयोजन न्याय सदन में किया गया था।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने कहा कि पारिवारिक मामलों में फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। विवाह जैसी संस्थाओं को बचाने का प्रयास करना होगा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि झालसा ने काफी पीड़ितों को मुआवजा देने का कार्य किया है। नौकरी भी दी जा रही है। ऐसे कार्य सभी जगहों पर होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल ने कहा कि छोटे-छोटे विवादों में परिवार टूट रहा है। 90 फीसद लोग पारिवारिक विवाद में उलझ रहे हैं। ऐसे मामलों में फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की अहम भूमिका है। समझौता से शीघ्र व अधिक मामलों का निष्पादन किया जा सकता है। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंदर सिंह ने कह कि फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश को पक्षकार व उनके बच्चों की मानसिकता को समझनी चाहिए। परिवार टूटना बड़ा हादसा है। किसी विवाह को टूटने को उन्होंने टाइटेनिक जहाज को डूबने के समान बताया। उन्होंने फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को विवाद की गहराइयों तक जाकर समझौता के माध्यम से मामले का अंत करने को कहा।

न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सिविल व आपराधिक मामलों में 25 फीसद मामले पारिवारिक होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, दीपक मिश्रा, झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह, जस्टिस डीएल पटेल आदि ने 'कंपाइलेशन ऑफ लैंडमार्क जजमेंट ऑफ ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा' नाम की पुस्तक का विमोचन किया।

कार्यक्रम में पुस्तिका का विमोचन करते सुप्रीम कोर्ट व झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश।

- व्यवहारिक स्तर से सुलझाएं पारिवारिक मामले : जस्टिस मिश्रा

### पीड़ित के आश्रित को नौकरी व मुआवजा

सेमिनार में विक्टिम कंपन्सेशन स्क़ीम के तहत 70 लोगों को मुआवजा दिया गया। विक्टिम वेलफेयर फंड रूल-2014 के तहत 18 लोगों को मुआवजा दिया गया। उग्रवादी हिंसा के पीड़ितों को सहायता संबंधी नीति के तहत उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इसमें चतरा, लातेहार, सरायकेला, साहेबगंज, चाईबासा, खूंटी, सरायकेला खरसांवा, कोडरमा, जामताड़ा सहित राज्य के अन्य जिलों के लोग शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने चतरा की रेखा देवी, रीता देवी, लीलावती देवी को एक-एक लाख रुपये मुआवजे की राशि दी। उग्रवादी हिंसा में इनके पति की मौत हुई थी। चतरा की सबीना खातून को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। वह चतरा समाहरणालय में फोर्थ ग्रेड में नौकरी करेंगी। उनके पति नियाम अंसारी की हत्या उग्रवादी हिंसा में हुई थी।

दैनिक भास्कर
रांची, रविवार 21 फरवरी, 2016

कार्यशाला | 62 लाख की मुआवजा राशि वितरित, सुप्रीम कोर्ट के जज बोले

# मुखिया की तरह होती है प्रिंसिपल जज की भूमिका

सिटी रिपोर्टर | रांची

फैमिली कोर्ट के जज को जज की तरह नहीं, बल्कि कुशल मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए। यह बात शनिवार को झालसा द्वारा न्याय सदन में आयोजित कार्यशाला में मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक मिश्रा ने कही। कार्यशाला का विषय था फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की भूमिका और मुआवजे से पीड़ित की सहायता करना। उन्होंने बताया कि फैमिली कोर्ट के जज को व्यवहार कुशल और काफी संवेदनशील बनने की आवश्यकता है। उन्हें सहनशीलता के साथ-साथ पति-पत्नियों के बीच बेहतर तालमेल बैठाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रिंसिपल जज का व्यवहार ग्रामीण क्षेत्रों में लगनेवाली पंचायत के मुखिया की तरह होनी चाहिए, जो कानून कम और व्यावहारिक बातें ज्यादा करते हैं। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने दुष्कर्म, हत्या जैसे जघन्य अपराध से पीड़ित महिलाओं को नौकरी और मुआवजा राशि दी। चतरा निवासी सबीना खातून को चतरा समाहरणालय में चतुर्थ वर्ग के पद पर नियुक्ति प्रमाण पत्र सौंपा, जबकि दो अन्य महिला रीता देवी और लीलावती देवी को बतौर मुआवजा एक-एक लाख रुपए का चेक सौंपा गया। इस अवसर पर पीड़ित मुआवजा योजना के तहत कुल 88 पीड़िताओं के बीच 62 लाख रुपए वितरित किए गए। यह राशि राज्य सरकार की ओर से विभिन्न मद में प्राप्त कर वितरित की गई।

पीड़िता को मुआवजा राशि का चेक देते जस्टिस दीपक मिश्रा व चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह।

## राज्य में हैं 21 फैमिली कोर्ट : चीफ जस्टिस

झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह ने बताया कि झारखंड में 21 फैमिली कोर्ट हैं। इन सभी कोर्ट में प्रिंसिपल जज की पदस्थापना पर हरेक पहलू को ध्यान में रखा जाता है। प्रिंसिपल जज का यह पहला कर्तव्य होता है कि पति-पत्नी के बीच बढ़ती दूरियों को शीघ्रता से सुलझाए। इसके लिए उन्हें कुशल प्रशिक्षक की भूमिका निभानी है।

## तलाक से बच्चों की खुशी भी लुट जाती है : गोयल

सुप्रीम कोर्ट के जज आदर्श कुमार गोयल ने कहा कि पति-पत्नी के बीच अलगाव शादी की हत्या के समान है। शादी पति-पत्नी के बीच मौजूद संबंध की एक पवित्र संस्था है। विश्व का एक-एक परिवार तभी स्थिर रह सकता है, जब पति-पत्नी के बीच शादी रूपी संस्था कायम है। उन्होंने माता-पिता के अलग होने से बच्चों की खुशी भी लुट जाती है।

सन्मार्ग
रांची, रविवार, 21 फरवरी 2016
www.pmedia.in

# मुवक्किलों के साथ जज बनायें सौहार्द्रपूर्ण रिश्ता: जस्टिस मिश्रा

संवाददाता

**रांची** : सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा है कि फेमिली कोर्ट के जज कोर्ट में आये मुवक्किलों के साथ सौहार्द्रपूर्ण रिश्ता बनायें। वे एक जज के रूप में मुवक्किलों से न मिलकर एक आम आदमी के रूप में बात करें। जब वे मुवक्किलों की बात समझेंगे तभी शादी जैसी संस्था बच सकेगी। साथ ही समाज में विकृति भी नहीं फैलेगी। जस्टिस मिश्रा बतौर मुख्य अतिथि शनिवार को डोरंडा स्थित न्याय सदन में फेमिली कोर्ट के प्रधान जज की भूमिका व मुआवजा से पीड़ित की सहायता विषय पर आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि समाज तभी सुरक्षित है, जब शादी जैसी संस्था सुरक्षित है। फेमिली कोर्ट के जजों को तालमेल, असहनशीलता व प्रतिक्रिया आदि से बचना होगा। मौके पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने कहा कि पति-पत्नी के बीच अलगाव शादी की हत्या के समान है। लोगों के घरों में शांति रहेगी तभी देश व विश्व में शांति बनी रह सकती है। समाज में आज युवा वर्ग बुजुर्गों की बात नहीं सुनता है, यह एक गंभीर चुनौती है। बुजुर्गों के मार्गदर्शन से शादी जैसी संस्थाओं में बिखराव रूक सकता है। फेमिली कोर्ट के जजों को शादी टूटने से बचाने की पहल करनी चाहिए, यही उनकी भूमिका है। उन्होंने कहा कि शादी से जुड़े केसों के निष्पादन में लेट नहीं होना चाहिए। कोर्ट को तलाक जैसे मामलों में बच्चों की खुशी का भी ध्यान रखना चाहिए। जस्टिस गोयल ने पीड़ित मुआवजा स्कीम पर चर्चा करते हुए कहा कि पीड़ितों को अंतरिम सहायता तुरंत मिलनी चाहिए। कई मामलों में केस का निष्पादन होने तक पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिल पाता है। इस परेशानी से उन्हें निजात दिलाना होगा।

हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने कहा कि शादी में पति व पत्नी के बीच के विवाद को सेटल करने के लिए जजों को प्रयास करना चाहिए। फेमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को एक ट्रेंड मेडियेटर के रूप में काम करना होगा। तभी दोनों पक्षों के विवाद को आसानी से निपटाया जा सकेगा। शादी टूटने के मामलों में बच्चों की कस्टडी के सवाल पर बच्चों की ओपिनियन का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने स्वागत भाषण देते हुए बताया कि अदालतों में 25 फीसदी मैटर फेमिली से जुड़े होते हैं। उन्होंने पीड़ित मुआवजा स्कीम पर चर्चा की। साथ ही देश के अलग- अलग राज्यों में पीड़ितों के मुआवजा के रूप में दी जाने वाली राशि के बारे में बताया। कार्यशाला में रेखा देवी व लीलावती देवी को एक- एक लाख रुपये पीड़ित मुआवजा का चेक दिया गया। वहीं सविता खातून को चतुर्थ वर्ग की नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया गया। पीड़ित मुआवजा स्कीम के तहत 88 लोगों को 62 लाख रुपये दिये गये।

खबर मन्त्र
रांची, रविवार, 21 फरवरी, 2016

## फैमिली कोर्ट के मामलों में प्रिंसिपल जजों की भूमिका, पीड़ित अनुदान विषय पर एक दिवसीय सेमिनार

# व्यवहारिक स्तर पर विवाद सुलझाएं जज : जस्टिस दीपक

संवाददाता

**रांची।** सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक मिश्रा ने कहा कि समाज तभी तक सुरक्षित है, जब मैरिज लाइफ सुरक्षित है। विवाह-विच्छेद के मामलों में फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फैमिली कोर्ट के जजों को मुवक्किलों के साथ एक जज के रूप में नहीं बल्कि आम व्यक्ति की तरह बात करनी होगी। उनके साथ मधुर संबंध स्थापित करना होगा। क्योंकि फैमिली कोर्ट सिर्फ कोर्ट नहीं और उनके जज सिर्फ जज ही नहीं बल्कि एक परिवार के रूप में कार्य करने के लिए बनाये गये हैं। इसके न्यायाधीश को पारिवारिक तरीके से व्यवहारिक रूप में मामलों को सुलझाने की आवश्यकता है। इसके लिए पक्षकार के बीच बेहतर संबंध स्थापित करना होगा। उन्हें धैर्य और सहनशीलता के साथ कार्य करना होगा। मामलों को सुलझाने में अधिक समय लग सकता है, लेकिन धैर्य बनाये रखने की आवश्यकता है। जस्टिस श्री मिश्रा बतौर मुख्य अतिथि शनिवार को डोरंडा स्थित न्याय सदन सभागार में फैमिली कोर्ट के मामलों में प्रधान न्यायाधीशों की भूमिका व पीड़ित अनुदान मुआवजा विषय पर

आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी (झालसा) की ओर से किया गया था। उन्होंने कहा कि विवाह से संबंधित कार्य करने जैसी संस्थाओं को बचाने का प्रयास करना होगा। ऐसा कदम नहीं उठाने से समाज में अराजकता की स्थिति आ जाएगी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि झालसा ने काफी पीड़ितों को मुआवजा देने का कार्य किया है। नौकरी भी दिए जा रहे हैं। ऐसे कार्य सभी जगहों पर होने चाहिए। उन्होंने मध्यप्रदेश के एक मामले का उदाहण देते हुए न्यायाधीशों को पारिवारिक मामला सुलझाने की नसीहत दी। इस पूर्व झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश डीएन पटेल ने अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सिविल व आपराधिक मामलों में 25 फीसदी मामले पारिवारिक होते हैं। जस्टिस प्रशांत कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया। सेमिनार में हाइकोर्ट के सभी न्यायाधीश, 21 जिलों के फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश, 12 जिलों के प्रधान न्यायायुक्त, अपर महाधिवक्ता बिनोद कुमार पोद्दार, झालसा सचिव नवनीत कुमार, हाइकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के सचिव संतोष कुमार, वरीय अधिवक्ता, संबंधित विभाग के अधिकार समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

**88 पीड़ितों के बीच 62 लाख रुपए का अनुदान, छह को नौकरी** : सेमिनार में विक्टिम कम्पंसेशन स्कीम के तहत 88 पीड़ितों के बीच लगभग 62 लाख रुपए का अनुदान बांटा गया। इसके अलावा छह को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इसमें तीन विधवा को अनुदान के साथ नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इसमें से अनिता देवी व वरसा देवी को पुलिस कॉस्टेबल का नियुक्ति पत्र दिया गया। जबकि सबिता खातून को चतरा समाहरणालय में अनुसेवक की नौकरी मिली।

## शादी के बाद अलगवाद होना शादी की हत्या जैसी : जस्टिस आदर्श कुमार गोयल

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल ने कहा कि छोटे-छोटे विवाद में परिवार बिखर रहा है। शादी के बाद अलगवाद होना शादी की हत्या जैसा ही है। करीब 90 फीसदी लोक पारिवारिक विवाद में उलझ रहे हैं। न्यायालय में तलाक के मामले बढ़ रहे हैं। कोर्ट में मामला आने से पूरा जीवन परेशान हो जाता है। परिवार बर्बाद हो जाता है। ऐसे मामलों में फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की अहम भूमिका है। समझौते से अधिक व शीघ्र मामलों का निष्पादन किया जा सकता है। लोक अदालत में भी मामलों का निष्पादन हो रहा है। उन्होंने कहा कि बुर्जुग अपने आइडिया युवा पीढ़ी को दें, ताकि विखराव न हो।

### न्यायाधीश पक्षकार व उनके बच्चों की मानसिकता को समझें : जस्टिस वीरेन्दर सिंह

झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वीरेन्दर सिंह ने कहा कि फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश को एक ट्रेड मेडिएटर के रूप में काम करना चाहिए। जजों को पक्षकार व उनके बच्चों की मानसिकता को समझनी चाहिए। परिवार टूटना बड़ा हादसा है। उन्होंने कहा कि सभी की दिनचर्या में छोटे-मोटे विवाद होते हैं, लेकिन किसी विवाद की गंभीरता ही उसे फैमिली कोर्ट तक ले जाती है। विवाह-विच्छेद को उन्होंने टाइटेनिक जहाज को डूबने के समान बताया। उन्होंने फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को विवाद के गहराईयों तक जाकर समझौता के माध्यम से मामले का अंतर करने की बात कही।

प्रभात खबर
रांची, रविवार, 21 फरवरी, 2016
www.prabhatkhabar.com

परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीशों की भूमिका पर कार्यशाला

# परिवारों को टूटने से बचायें: जस्टिस मिश्रा

कार्यशाला में मौजूद जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस वीरेंदर सिंह व अन्य.

**वरीय संवाददाता, रांची**

विवाह से एक पवित्र रिश्ता का जन्म होता है. इस रिश्ते को टूटने से बचाने के लिए हम सभी को अपने-अपने स्तर से प्रयास करने की जरूरत है. उक्त बातें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने कही. वे बतौर मुख्य अतिथि शनिवार को झालसा की ओर से परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीशों की भूमिका पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि इस तरह के मुकदमों में न्यायाधीशों की भूमिका अहम होती है. उन्हें धैर्यपूर्वक काम करते हुए अपना फैसला लेना पड़ता है. हमें हर संभव यह कोशिश करनी चाहिए कि परिवार टूटने से बच सके. न्यायाधीशों को एक सामान्य आदमी की तरह सोचते हुए अपना कदम उठाना चाहिए. उन्होंने इस संबंध में उदाहरण स्वरूप मध्यप्रदेश के मंदसौर में घटी घटना के बारे में जानकारी दी. न्यायाधीश मिश्रा ने कहा कि झालसा बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है. अन्य राज्यों में भी इसी तरह के काम होने चाहिए.

## पीड़ित पक्ष पर ध्यान दिया जाये

कार्यशाला के दौरान न्यायाधीशों ने कहा कि आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष की बातें नहीं सुनी जाती हैं. आरोपियों को सजा मिले, इसके लिए साक्ष्य व गवाहों पर गौर किया जाता है. न्यायाधीशों को अपना विचार बदलना होगा और मुकदमा संज्ञान में आते ही अंतरिम मुआवजा कैसे मिले, इस सोच के साथ उन्हें काम करना चाहिए.

न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने स्वागत भाषण देते हुए कार्यक्रम के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला. धन्यवाद ज्ञापन न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार ने किया. इस अवसर पर हाइकोर्ट के न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे.

## मिल बैठ कर सोचने की जरूरत : जस्टिस गोयल

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल ने कहा कि हमारा समाज किधर जा रहा है, इस पर हम सब को मिल बैठ कर सोचने की जरूरत है. अब काफी कम सुनने को मिलता है कि हम विवाह के स्वर्ण जयंती व रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं. अब तो शादी के कुछ ही साल बाद रिश्ता टूट जा रहा है. हमें रिश्तों को, परिवार को टूटने से बचाना होगा. उन्होंने रामायण का उदाहरण देते हुए कहा कि कैसे राम अपने परिवार को टूटने से बचाते रहे और सदैव सभी को साथ लेकर चले. यही हमारी संस्कृति रही है.

## विवाद को समाप्त करने की जरूरत है : जस्टिस वीरेंदर सिंह

झारखंड हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंदर सिंह ने कहा कि फैमिली कोर्ट में काफी अनुभवी जजों को पदस्थापित किये जाने की जरूरत है, क्योंकि पारिवारिक मामलों में निर्णय लेने के लिए काफी गहराई तक जाना पड़ता है. प्रयास यह रहता है कि हम विवाद को ही समाप्त कर दें, ताकि एक परिवार टूटने से बच सके और वह परिवार खुशी-खुशी जीवन यापन कर सके. न्यायाधीश ऐसे मामलों में विशेषज्ञों की भी सलाह ले सकें, ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए.

## 88 पीड़ितों के बीच 61 लाख का मुआवजा वितरित, नियुक्ति पत्र मिला

कार्यशाला के दौरान 12 जिलों के 88 पीड़ितों के बीच लगभग 61 लाख रुपये के मुआवजा का भुगतान किया गया. ये लोग विभिन्न घटना के पीड़ित थे. रीता देवी को एक लाख रुपये दिया गया. सबिना खातून, अनीता देवी, राहुल कुमार तिवारी, वर्षा देवी, दिनेश तुरी, विनोद साव, इंद्रदेव राम को नियुक्ति पत्र दिया गया.

रांची एक्सप्रेस
रांची, रविवार 21 फरवरी 2016

रांची : झालसा में आयोजित कार्यक्रम में एक लाभुक महिला को चेक सौंपते सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपक मिश्र। छाया : आसिफ

रविवार, 21 फरवरी 2016
हिन्दुस्तान

## फैमिली कोर्ट में प्रधान जजों की भूमिका पर सेमिनार का आयोजन, नए विचारों के साथ काम करने का आह्वान

# केस को टाइटेनिक समझ बचाने का करें प्रयास

रांची | हिन्दुस्तान ब्यूरो

फैमिली कोर्ट के जजों को धैर्य रखकर काम करना होगा। उन्हें मामले में पूरी तरह डूबना होगा। इस बात का पता लगाना होगा कि आखिर विवाद की वजह क्या है। उन्हें यह सोचना होगा कि उनके सामने टाइटेनिक खड़ा है और उसे किसी भी कीमत पर बचाना है। संवेदनशीलता दिखानी होगी और अनुभवों का भी लाभ उठाना होगा। उक्त बातें परिवार न्यायालय में प्रधान जजों की भूमिका विषयक सेमिनार में वक्ताओं ने शनिवार को कहीं।

न्याय सदन डोरंडा में आयोजित सेमिनार में मुआवजा का चेक देते अतिथि। • हिन्दुस्तान

सेमिनार में उपस्थित जज, पुलिस-प्रशासनिक अधिकारी व वकीलगण। • हिन्दुस्तान

न्याय सदन डोरंडा में 20 फरवरी को झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालासा) की ओर से सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार को सुप्रीम कोर्ट जस्टिस दीपक मिश्र, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह और जस्टिस डीएन पटेल ने संबोधित किया।

**इनवॉल्व होना होगा :** सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्र ने कहा कि जजों को यह विचार निकालना होगा कि वे कोर्ट में है और जज की भूमिका में है। उन्हें नए विचार के साथ काम करना होगा। धैर्य भी रखना होगा। विवाह एक संस्था है। इस कारण परिवार टूटने से बचाने का हरसंभव प्रयास करना होगा। इसके लिए उन्हें मामले में पूरी तरह से शामिल होना होगा।

**पारिवारिक मूल्यों को बचाना होगा :** सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गोयल ने कहा कि पारिवारिक मूल्यों को बचाने की जरूरत है। परिवार बचाने के लिए त्याग करने की परंपरा भारतीय संस्कृति में रही है। इसके लिए फैमिली कोर्ट को अपनी भूमिका निभानी होगी। जरूरत पड़ने पर मनोवैज्ञानी और दूसरे विशेषज्ञों की राय भी लेनी चाहिए। इस कोर्ट में लोग अलग होने के लिए ही आते हैं, लेकिन प्रयास होना चाहिए कि परिवार किसी भी तरह न टूटे।

**प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाने की जरूरत:** झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह ने कहा कि फैमिली कोर्ट में उन्हीं जजों को पदस्थापित किया जाना चाहिए, जिनके पास काउंसिलिंग और मेडिएशन का अनुभव हो या जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है, ताकि परिवार टूटने से बचाया जा सके। मामले की गहराई में जाना होगा, ताकि पता लगाया जा सके कि विवाद कहां है।

**88 पीड़ितों के बीच मुआवजा का भुगतान :** सेमिनार में 12 जिलों के 88 पीड़ितों के बीच मुआवजा का भुगतान किया गया। करीब 32 लाख रुपए वितरित किया गया, जिनमें हत्या और बलात्कार के पीड़ित शामिल थे।

**नियुक्ति-पत्र दिया गया :** चतरा की सबिना खातून को चतुर्थवर्गीय पद पर नियुक्ति-पत्र दिया गया। वे हत्या की पीड़ित थीं। उन्हें चतरा समाहणालय में नौकरी मिली है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक मिश्र ने नियुक्ति-पत्र दिया।

### आपराधिक मामलों में पीड़ित को मुआवजा दिलाएं

आपराधिक मामले की सुनवाई में पीड़ित पक्ष पर ध्यान नहीं दिया जाता। आरोपी को सजा दी जाए, इसके लिए सिर्फ साक्ष्य और गवाहों पर गौर किया जाता है, लेकिन जजों को अपना माइंडसेट बदलना होगा। उन्हें केस संज्ञान में आने के बाद ही अंतरिम मुआवजा दिलाना होगा। इस सोच के साथ जजों को काम करना चाहिए। जजों ने विक्टिम कंपनेशन स्कीम पर सेमिनार में उक्त बातें कहीं। सेमिनार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्र, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह और जस्टिस डीएन पटेल ने भी संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि मुआवजे के साथ पुनर्वास का भी प्रावधान किया गया है। अलग-अलग राज्यों में मुआवजे के लिए अलग-अलग प्रावधान है। यह राशि 20 हजार से दो लाख रुपए तक है, पर इसमें एकरूपता लाने की जरूरत है।

हिन्दुस्तान • रांची • सोमवार • 22 फरवरी 2016

# शालीन बनें वकील: जस्टिस मिश्र

रांची | हिन्दुस्तान ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्र ने कहा कि वकीलों को सकारात्मक सोच और मेहनत के साथ काम करना होगा। वकालत सम्मानित पेशा है, इस कारण वकीलों को शालीन भी होना होगा।

वह रविवार को बार काउंसिल परिसर में वकालत के लाइसेंस वितरण समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। समारोह में 81 वकीलों को लाइसेंस दिया गया। मौके पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह, काउंसिल के चेयरमैन राजीव रंजन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि नीलेश कुमार, बार काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ल समेत हाईकोर्ट के सभी जज उपस्थित थे।

जस्टिस मिश्र ने कहा वकील यदि केस हार जाते हैं, तो उससे हत्तोत्साहित नहीं होना चाहिए। यह सतत प्रक्रिया है और संघर्ष से मात खा गए, तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह ने कहा कि वकीलों पर कई जिम्मेदारी होती है, जिसका निर्वहन सभी को करना होगा।

पेशे की गरिमा बनाए रखना होगा। कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करें, तो सफलता मिलेगी। स्वागत भाषण काउंसिल के चेयरमैन राजीव रंजन और धन्यवाद ज्ञापन उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ल ने किया।

बार काउंसिल परिसर में रविवार को नए वकीलों को लाइसेंस वितरित करते जस्टिस।

## समारोह

- समारोह में 81 वकीलों को लाइसेंस दिया गया
- पेशे की गरिमा बनाए रखना होगा : चीफ जस्टिस

दैनिक भास्कर रांची, सोमवार 22 फरवरी, 2016

गुरु मंत्र

बार काउंसिल ने 81 छात्रों को दिए लाइसेंस, जस्टिस दीपक मिश्रा बोले

# आगे बढ़ने के लिए सतत प्रयास जरूरी

लीगल रिपोर्टर| रांची

वकील का पेशा चुनौतियों से भरा हुआ है। यह ज्ञान का पेशा है। इसमें आगे बढ़ने के लिए सतत प्रयास और लगातार अध्ययन जरूरी है। उक्त बातें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा ने रविवार को स्टेट बार काउंसिल के कार्यालय में आयोजित लाइसेंस वितरण कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि पुरुषार्थ से ही भाग्य में लिखी चीजें मिलेंगी। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह ने कहा कि वकीलों के काम को पवित्र माना गया है और न्यायालयों को मंदिर की संज्ञा दी गई है। ऐसे में यह जरूरी है कि वकीलों का आचार-विचार व व्यक्तित्व सम्मानित हो। कार्यक्रम में 81 लोगों को लाइसेंस दिया गया। इस मौके पर हाईकोर्ट के सभी जज, बार कौंसिल के चेयरमैन राजीव रंजन भी विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन बार कौंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य निलेश कुमार ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन राजेश कुमार शुक्ल ने किया।

नए वकीलों को प्रमाण-पत्र देते जस्टिस दीपक मिश्रा। साथ में अन्य जज।

## माडल रूल्स पर होगा एसोसिएशन का चुनाव

झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव माडल रूल्स के आधार पर होगा। यह जानकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश तिवारी ने रविवार को दी। उन्होंने बताया कि चुनाव की तैयारी की जा रही है। 22 फरवरी से चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो जाएगा। चुनाव को देखते हुए सदस्यता के लिए समयसीमा भी बढ़ाई गई है। पहले यह सीमा 19 फरवरी तक निर्धारित थी, इसे बढ़ा कर अब 23 फरवरी तक किया गया है।

प्रभात खबर
रांची, सोमवार ,22 फरवरी, 2016
www.prabhatkhabar.com

## झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने 81 वकीलों को दिया प्रैक्टिस का लाइसेंस

# मुकदमा हारने पर घबरायें नहीं वकील : जस्टिस मिश्र

वकीलों को लाइसेंस देते सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्र.

## समाज के विकास में वकीलों की भूमिका अहम : चीफ जस्टिस

**संवाददाता, रांची**

झारखंड स्टेट बार काउंसिल की ओर से रविवार को डोरंडा स्थित काउंसिल कार्यालय में लाइसेंस वितरण समारोह का आयोजन किया गया. इसमें नये इनरोल वकीलों को प्रैक्टिस का लाइसेंस प्रदान किया गया. समारोह को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्र ने कहा कि वकील को हमेशा सकारात्मक सोच से काम करना चाहिए, उसे कभी भी हार नहीं माननी चाहिए.

एक मुकदमा हारने पर वकील को घबराना नहीं चाहिए और न ही निराश होना चाहिए. इसे एक युद्ध के समान लेना चाहिए. उन्होंने अदालत को न्याय का मंदिर बताते हुए वकीलों को मैनेजर और केयरटेकर बताते हुए इसकी गरिमा की रक्षा करने की सीख दी. वकीलों से हमेशा मानवीय एप्रोच रखने को कहा. जस्टिस मिश्रा ने कहा कि न तो कोई अतीत होता है और न ही भविष्य होता है. इस कारण हम सब को हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए. हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह ने नये इनरोल वकीलों को उनकी भूमिका के संबंध में बताया और कहा कि जैसे ही आप वकील बनते हैं, बहुत सारे दायित्व साथ आते हैं. आपको उन दायित्वों का निर्वहन बहुत ही ईमानदारी से करना चाहिए. यह बहुत ही सम्मानित और पवित्र पेशा है.

मंच संचालन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के झारखंड प्रतिनिधि निलेश कुमार ने किया. स्वागत भाषण चेयरमैन राजीव रंजन और धन्यवाद ज्ञापन बार काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ल ने किया. मौके पर हाइकोर्ट के सभी जज, अपर महाधिवक्ता जय प्रकाश, काउंसिल के सदस्य पीसी त्रिपाठी, महेश तिवारी, रामसुभग सिंह, एसएस ओझा, हेमंत सिकरवार सहित नेशनल विधि विवि के छात्र और कई वकील उपस्थित थे.

दैनिक जागरण रांची, 22 फरवरी 2016

# मेहनत करें, ईमानदारी बरतें अधिवक्ता : जस्टिस मिश्र

- विकास में अधिवक्ताओं की भूमिका अहम : जस्टिस वीरेंदर सिंह

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड स्टेट बार कौंसिल ने रविवार को 81 नए अधिवक्ताओं को प्रैक्टिस का लाइसेंस एक सादे समारोह में दिया। लाइसेंस पाने वाले अधिवक्ताओं को सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति दीपक मिश्र ने शुभकामना देते हुए कहा कि आपके कंधे पर आज से ही बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आने वाली है। आपको अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करना होगा। एक अधिवक्ता को हमेशा सकारात्मक सोच से काम करना चाहिए और इसको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उन्होंने अदालत को न्याय का मंदिर बताते हुए अधिवक्ताओं को मैनेजर और केयर टेकर बताया तथा इसकी गरिमा की रक्षा करने की सीख दी। जस्टिस मिश्र ने अधिवक्ताओं से हमेशा मानवीय सोच रखने को कहा। साथ ही यह भी संदेश दिया कि एक मुकदमा हार जाने से निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे युद्ध में हार के समान लेना चाहिए और अगली बार पूरी तैयारी से नये मुकदमे का निष्पादन कराने में जुट जाने की जरूरत बताई।लाइसेंस वितरण के मौके पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वीरेंदर सिंह ने अधिवक्ताओं को उनकी भूमिका समझायी और कहा कि जैसे ही आप वकील बनते हैं, आप पर बहुत सारे दायित्व आ जाते हैं। आपको उन दायित्वों का निर्वहन बहुत ही ईमानदारी से करना चाहिए क्योंकि वकालत बहुत ही सम्मानित और पवित्र पेशा है। समारोह में मंच संचालन कौंसिल के सदस्य नीलेश कुमार ने किया। स्वागत भाषण चेयरमैन राजीव रंजन ने किया जबकि धन्यवाद ज्ञापन बार कौंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ल ने किया। मौके पर हाईकोर्ट के सभी जज, अपर महाधिवक्ता जय प्रकाश, पूर्व कौंसिल अध्यक्ष पीसी त्रिपाठी, महेश तिवारी, राम सुभग सिंह, एसएस ओझा, हेमंत शिकरवार सहित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय छात्र आदि मौजूद थे।

समारोह में बोलते सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपक मिश्र।